सार्वजनिक सूचना

जिलाधिकारी महोदय ललितपुर के आदेश दिनांक 24.03.2021 के अनुक्रम में एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुरानी कलैक्ट्रेट परिसर ललितपुर में चाय, मीठा, नमकीन आदि की केंटीन वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये नीलामी दिनांक 15.06.2021 को अपरान्ह 04.00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में अपर उपजिलाधिकारी ललितपुर के समक्ष की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त दिनांक व समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को बोली बोलने के पूर्व मु0 20,000.00रू0 जमानत धनराशि जमा करना होगा तथा उच्चतम बोली बोलने बाले को बोली समाप्त होने पर अधिकतम बोली का 1/2 भाग तत्काल जमा करना होगा। जमानत राशि दिनांक 14.06. 2021 के सांय 5.00 बजे तक नजारत कलैक्ट्रेट ललितपुर में जमा की जा सकती है।

शेष शर्ते कार्यालय दिवस में नजारत अनुभाग कलैक्ट्रेट ललितपुर के नोटिस बोर्ड पर तथा जनपद ललितपुर की बेवसाईट lalitpur.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

अपर उपजिलाधिकारी
ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर

संख्या मेमो/नौ–ना.स.–सा.नीलामी /2020–21 दिनांक मई 31, ,2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर।

3– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, पाली, मडावरा ।

4– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ललितपुर/नगर पंचायत तालबेहट, महरौनी, पाली।

5– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, ललितपुर।

6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ललितपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सार्वजनिक सूचना एवं संलग्न शर्तो को ललितपुर की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

7– जिला सूचनाधिकारी ललितपुर को जनपद के अग्रणी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

8– सम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करने हेतु।

अपर उपजिलाधिकारी
ललितपुर।

DESCTOP NILAMI

कलैक्ट्रेट कैंटीन की नीलामी की शर्ते

पुरानी कलैक्ट्रेट परिसर ललितपुर में स्थित चाय, मीठा, नमकीन आदि की कैंटीन वर्ष 2021–22 हेतु दिनांक 15.06.2021 को स्थान जिलाधिकारी कार्यालय अपर उपजिलाधिकारी ललितपुर के बैठक कक्ष में अपरान्ह 04.00 बजे आयोजित होने बाली नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार होंगीः–

01 विगत वर्ष के बकायादार बोली में भाग नहीं ले सकेंगें।

02 नाबालिग बोली में भाग नहीं ले सकेंगें।

03 बोली से पूर्व बोली में भाग लेने बाले व्यक्ति को चाय–मीठा व नमकीन(कैंटीन) हेतु मु0 20000.00 (बीस हजार रूपया) अरनेस्ट मनी जमा करनी होगी यह धनराशि दिनांक 14.06.2021 के सांय 5.00 बजे तक नजारत कलैक्ट्रेट ललितपुर में जमा की जा सकती है।

04 बोली समाप्त होने पर सर्वाधिक बोलीदाता को तत्काल बोली की धनराशि 1/2 भाग जमा करना होगा। सर्वाधिक बोली की 1/2 भाग धनराशि तत्काल बोली के तुरन्त बाद प्रभारी अधिकारी नजारत के समक्ष जमा न करने की दशा में द्वितीय सर्वाधिक बोलीदाता की बोली स्वीकृत की जायेगी एवं तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। शेष 1/2 भाग वित्तीय वर्ष 2021–22 में ही जमा करना होगा।

05 नीलामी की प्रकिया पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाता की अर्नेस्ट मनी नीलामी स्वीकृति के पश्चात जिसके पक्ष में बोली स्वीकृत होती है उसके अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की अर्नेस्ट मनी वापिस की जायेगी।

06 बोली(नीलामी) के स्वीकृतकर्ता अधिकारी जिलाधिकारी होंगें।

07 बोली स्वीकृत होने के उपरान्त बोलीदाता को अनुबन्धपत्र हेतु नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा, एसा न करने पर बोली स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा जमा की गई 1/2 धनराशि राज्य सरकार के हक में जब्त हो जायेगी।

08 नीलामी /किस्तों की वसूली के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

09 कैंटीन से खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता निर्धारित मानक से कम पाये जाने पर कैंटीन की नीलामी किसी भी समय निरस्त की जा सकती है तथा संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

10 विकीत वस्तुओं की कीमत निर्धारित दर से अधिक वसूली नहीं की जा सकती और खाद्य सामग्री को ढक कर रखना होगा।

11 विकय हेतु उपलब्ध बस्तुओं का रेट बोर्ड कैंटीन पर प्रदर्शित करना होगा, जिसकी एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। वर्ष के मध्य में किसी भी बस्तु के रेट में परिवर्तन बिना जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

12 किसी बोली या समस्त नीलामी को जिलाधिकारी महोदय बिना कारण बताये निरस्त करने के लिये अधिकृत होंगें।

13 कैंटीन का संचालन कार्यालय अवधि में अधिकतम 7.00 बजे तक किया जायेगा।

14 कैंटीन के आस–पास की साफ सफाई कैंटीन संचालक को करानी होगी।

15 कैंटीन कें विद्युत एवं जल सम्बन्धी बिल का भुगतान कैंटीन संचालक को स्वयं करना होगा।

उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर बिना कारण बताये नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी ललितपुर में निहित होगा । शर्तो की उल्लंधन होने की दशा में अनुबन्धपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं बोली निरस्त करते हुये बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

अपर उपजिलाधिकारी
ललितपुर

कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर

संख्या मेमो/नौ–ना.स.–सा.नीलामी /2020–21 दिनांक मई 31 ,2021

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर।

3– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, पाली, मडावरा ।

4– अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद ललितपुर/नगर पंचायत तालबेहट, महरौनी, पाली।

5– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, ललितपुर।

6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सार्वजनिक सूचना एवं संलग्न शर्तो को ललितपुर की बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

7– जिला सूचनाधिकारी ललितपुर को जनपद के अग्रणी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

8– सम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र को प्रकाशन हेतु।

अपर उपजिलाधिकारी
ललितपुर

DESCTOP NILAMI